(114)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प इन्दौर

PBR/निगरानी/खण्डवा/भू-रा/2017/2843

राजस्व पुनरीक्षण

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

प्रस्तुत दिनांक :– 2/08/2017

जलील खां पिता जंगू खां (मृत) मूल अनावेदक कं. 3 व्दारा वारसान–

1 जावेद खां उम्र लगभग 28 साल पिता स्व.जलील खां

निवासी–खारी बावड़ी वार्ड, कसाईपुरा मस्जिद के पास,खण्डवा जिला खण्डवा

2 श्रीमती आयशाबी. उम्र लगभग 30 साल पति अहमद

(पुत्री स्व.जलील खां) निवासी छीपा कॉलोनी खण्डवा जिला खण्डवा

3 श्रीमती फिरोजाबी. उम्र लगभग 40 साल पति अख्तर खां

(पुत्री स्व.जलील खां) निवासी शक्कर तालाब खण्डवा जिला खण्डवा

.......याचिकाकर्तागण / अपीलार्थीगण

विरूध्द

इकबाल खां पिता भूरे खां (मृत) मूल आवेदक व्दारा वारसान–

1 श्रीमती नूरजहांबी. बेवा स्व. इकबाल खां

2 फिरोज खां उम्र लगभग 40 साल पिता स्व.इकबाल खां

3 अफरोज खां उम्र लगभग 38 साल पिता स्व इकबाल खां

4 कुमारी रजिया उम्र लगभग 20 साल पिता स्व.इकबाल खां

सभी निवासी कसाईपुरा सिद्धनाथ आगरकर मार्ग खण्डवा जिला खण्डवा

5 श्रीमती तरन्नुम उम्र लगभग 22 साल पति अमजद (पुत्री स्व.इकबाल खां)

निवासी संतोषी माता वार्ड बंगाली कॉलोनी,नजीर वेल्डर के बाड़े में खण्डवा

6 श्रीमती नाजिया उम्र लगभग 19 साल पति इरफान मैकेनिक (पुत्री स्व.जलील खां) निवासी समद किराना दुकान के पास छीपा कालोनी, खण्डवा

..प्रतिप्रार्थी / प्रतिअपीलार्थीगण

7 रमजान खां उम्र लगभग 54 साल पिता स्व.जंगू खां

8 खलील खां उम्र लगभग 58 साल पिता स्व.जंगू खां

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री मोहम्मद साबिर
प्रार्थी / अभिभाषक द्वारा दिनांक 02-08-2017 को प्रस्तुत।

537
02-08-2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

9 मुश्ताक खां उम्र लगभग 50 साल पिता स्व.जंगू खां

10 हमीद खां (अशफाक) उम्र लगभग 48 साल पिता स्व.जंगू खां

कमांक 7 से 10 निवासी खारीबावड़ी वार्ड, कसाईपुरा मस्जिद के पास खण्डवा

....प्रतिप्रार्थी / प्रतिअपीलार्थी /

मूल अनावेदक कमाक 2, 4, 5 एवं 6 .

बनाम

श्रीमती शहनाजबी. नियाजी उम्र 61 साल पिता नुरूलहसन नियाजी स्थयी पता ईदगाह के पास दूधतलाई, खण्डवा हाल निवासी–डोंगरी मुम्बई महाराष्ट्र व्दारा आममुख्त्यार इमरान खान उम्र 36 साल पिता सैफुल्ला खान, टेलर निवासी–ईदगाह के पास दूधतलाई, खण्डवा हाल निवासी–कुर्ला वासीनाका, जयभारत सोसायटी माड़ा कॉलोनी, मुम्बई

........अपीलीय न्यायालय की प्रार्थीनी

यह कि याचिकाकर्तागण न्यायालय अपर कलेक्टर, खण्डवा (पीठासीन श्री बुटासिंह ईवने) व्दारा व्दारा रा.अपील कं. 11अ / 6 सन 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12 / 07 / 2017 से दुखी पीड़ित एवं असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों, आधारों एवं अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है। इस आदेश व्दारा प्रार्थीनी श्रीमती शहनाजबी. के आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्य. प्र.सं. को स्वीकार कर उन्हें अपील में पक्षकार बनाकर प्रतिअपीलार्थी के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये है ।

अपील / मूल प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1 यह कि अपीलार्थीगण ने न्यायालय नजूल अधिकारी खण्डवा व्दारा रा.प्र.कं. 346 अ / 6 सन् 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23 / 11 / 2015 जिसकी जानकारी प्रथम बार अपीलार्थीगण को दिनांक 17 / 5 / 2016 को हुई थी के विरूध्द अपील इस आधार पर प्रस्तुत की थी कि मूल प्रकरण के आवेदक इकबाल खां पिता भूरे खां की मृत्यु लगभग 2 माह पूर्व हो चुकी है तथा प्रतिअपीलार्थी कमांक 1 से 6 मृतक के वैधानिक वारसान एवं उत्तराधिकारी है । इसी प्रकार मूल प्रकरण के अनावेदक कमांक 3 जलील खां पिता जंगू खां की मृत्यु दिनांक 01 / 4 / 2002 को शहर खण्डवा में हो चुकी थी, तथा अपीलार्थीगण मृतक के वैधानिक वारसान एवं उत्तराधिकारी है ।

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/निगरानी/खण्डवा/भू.रा/2017/2843**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20-2-2019 | **आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री मोहम्मद साबीर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को आयुक्त न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।**<br><br>**(मनोज गोयल)**<br>**अध्यक्ष** | |